



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241685
CG-DL-E-05012023-241685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]
No. 29]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

का.आ. 32(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट Connecting Bypass के किमी 21.1 किमी से 28.8 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-Connecting Bypass तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Connecting	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	घाटीगांव	1 रायपुर

	()	Bypass के कि.मी. 21.1 से 28.8 तक				2 रायपुर कला
--	----	--	--	--	--	--------------

[फा. सं. NHAI/PIU-GWL/WesternBypass/2021-22/0002]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2023

S.O. 32(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 21.1 to Km. 28.8 of the Connecting Bypass for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MADHYA PRADESH

SCHEDULE

**Land acquisition on National Highway No. Connecting Bypass in the
State of MADHYA PRADESH**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	sub-divisional officer ()	21.1KM To 28.8KM	MADHYA PRADESH	GWALIOR	Ghatigaon	1 Raipur 2 RaipurKalan

[F. No. NHAI/PIU-GWL/WesternBypass/2021-22/0002]

RAJESH GUPTA, Director